भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3708

दिनांक 11 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

किराए के भवनों में आंगनवाड़ी केंद्र

3708. श्री नलीन कुमार कटील :

श्री डी.के. सुरेश :

श्रीमती सुमलता अम्बरीश :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कई आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो किराए के भवनों और अपने स्वामित्व वाले भवनों में कार्य कर रहे आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्र को किराए का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कई आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के किराए का भुगतान करने के लिए वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) प्रस्ताव के अनुसार, 1392171 कार्यशील

आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 336237 आंगनवाड़ी केन्द्र किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं। 674771 आंगनवाड़ी केन्द्र सरकारी भवनों में, 240120 स्कूलों में और 141043 पंचायत/सामुदायिक भवनों में कार्य कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) आंगनवाड़ी केन्द्रों के किराया घटक के लिए किया गया प्रावधान, दिनांक 23112017 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण/जनजातीय के लिए 1000/- रुपए प्रतिमाह, शहरी के लिए 4000/- रुपए प्रतिमाह और महानगर के लिए 6000/- रुपए प्रतिमाह था। तथापि, दिनांक 01.08.2022 को जारी मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के दिशा-निर्देशों में किराया घटक के प्रावधान को संशोधित किया गया था। वर्तमान में, आंगनवाड़ी केन्द्र/लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए, किराया 2,000/- रुपये प्रतिमाह, 6000/- रु. प्रति माह (शहरी) और 8000/- रु. प्रति माह (महानगरीय) की दर से निधियां आबंटित की जाती हैं।

*****